फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं जिला जयपुर

मोहनलाल —————————— बनाम —————————— नन्दकिशोर

मुकदमा संख्या– 09/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
23/8/23	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 06/9/23 को पेश हो। [signature]	
6/9/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/9/23 को पेश हो। [signature]	
14/9/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/9/23 को पेश हो। [signature]	
18/9/23	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 22/9/23 को पेश हो। [signature]	
22/9/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/9/23 को पेश हो। [signature]	
27/9/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/10/23 को पेश हो। [signature]	
11/10/23	वकील वादी उप०। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव वाद अन्तिम डिक्री हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली नियम मुताबिक बेहर, दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

मोहनलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम, उम्र 42 वर्ष, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र 45 वर्ष,जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बृजलाल सिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी दुलवास, तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—09/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी खाता सं0 134 के खसरा नं0 844 रकबा 0.11 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21.02.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:—

1. मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणराम, जाति अहीर (यादव), निवासी उदयपुरिया तह0 चौमूं खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 844/1 रकबा 0.0322 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0322 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 108/778, जाति कुमावत, सा0 गोविन्दगढ़ खातेदार, सुरेन्द्रसिंह पुत्र बृजलाल सिंह हिस्सा 670/778, जाति चारण सा0 गोविन्दगढ़ खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 844/2 रकबा 0.0778 है0, कुल किता

सहायक कलक्टर

मु0सं0–09/2021
उनवान–मोहनलाल बनाम नन्दकिशोर वगै0
निर्णय दिनांकः–11.10.2023

1 का कुल रकबा 0.0778 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.10.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.........................
ओहदा...........................

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–09/2021
उनवान–मोहनलाल बनाम नन्दकिशोर वगै0
निर्णय दिनांकः–11.10.2023

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

मोहनलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम, उम्र 42 वर्ष, जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र 45 वर्ष,जाति कुमावत, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बृजलाल सिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी दुलवास, तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–11.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 21.02.2023 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 21.02.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मलिकपुर, पटवार हल्का मलिकपुर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी खाता सं0 134 के खसरा नं0 844 रकबा 0.11 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. मोहनलाल पुत्र लक्ष्मणराम, जाति अहीर (यादव), निवासी उदयपुरिया तह0 चौमूं खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 844/1 रकबा 0.0322 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0322 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—09 / 2021
उनवान—मोहनलाल बनाम नन्दकिशोर वगै0
निर्णय दिनांकः—11.10.2023

2. नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 108 / 778, जाति कुमावत, सा0 गोविन्दगढ़ खातेदार, सुरेन्द्रसिंह पुत्र बृजलाल सिंह हिस्सा 670 / 778, जाति चारण सा0 गोविन्दगढ़ खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 844 / 2 रकबा 0.0778 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0778 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)